भीम

BhiM भारत इंटीमेशन मिलन

राजस्थान, सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 11 (5) नविवि / भवन विनियम - 2025 / 2025

जयपुर, दिनांक

-: आदेशः-

757

आज़ादी का

"अमृत महोत्सव

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104 - ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85 कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025 की धारा 88, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के समस्त निकाय क्षेत्रों में नवीन "मॉडल भवन विनियम - 2025" लागू करती है।

अतः नवीन मॉडल भवन विनियम - 2025 की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें । संलग्न :- मॉडल भवन विनियम - 2025

राज्यपाल की आज्ञा से

( रवि विजय )

शासन उप सचिव - प्रथम

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार । 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, Signature Not Verified 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग या ned by Ray Vijay

जयपुर

4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विनास, विभesignation Deputy Secretary To

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

Government

Date 2025.05.12 14:36:47 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15233156

भीम

BhiM

भारत इंटीलेशन मिशन

757

आज़ादी का "अमृत महोत्सव

6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/ नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु ।

7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

8. मुख्य नगर नियोजक (एन. सी. आर ), जयपुर ।

9. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर ।

10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

11. सचिव, जयपुर/जोधपुर / अजमेर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर / भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर / उदयपुर/ कोटा / बीकानेर / भरतपुर ।

12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त-

I

13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग । 14.प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड

किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।

15. रक्षित पत्रावली ।

RajKaj Ref No.: 15233156

शासन उप सचिव - प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Rayi Vijay Designation Deputy Secretary To Government

Date: 2025.05.12 14:36:47 IST Reason: Approved

मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025

राजस्थान सरकार

मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर